



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

**संख्या 35/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 59/2019.**— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 98/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के प्रतिनिर्देश से, मैं, अमित कुमार अग्रवाल, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम प्रथम अप्रैल, 2019, से लागू होंगे।
2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,—
  - (i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) प्ररूप अनु०-1 में अनुज्ञप्ति के लिए,—

(क) ₹1,30,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से कम या बराबर है;

(ख) ₹1,50,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;

(ग) ₹2,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है;

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक तीस लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने अथवा देय किसी राशि या शास्ति के लिए समायोजित किये जाने के लिए दायी होगी।”;
  - (ii) खण्ड (i-ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i-ख ख) प्ररूप अनु०-4/अनु०-5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:—

(क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को ₹ 45,00,000 प्रदान की गई अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्ति

परन्तु अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, प्रौद्योगिक पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात-दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटोरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है। अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 (मध्यरात्रि) बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। बारों का समय दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घन्टे तक बढ़ाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय, जिसमें अनु04/अनु0-5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा भी शामिल है, 18 प्रतिशत की दर से वैट + वैट पर 5 प्रतिशत की दर से अधिभार आकर्षित करेगा;

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹38,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात-दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटोरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी स्थित होटल को भी अस्थायी तौर पर एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी जो प्रार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अस्थायी अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा;

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹20,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटोरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अपनी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एक बार फीस (वन टाइम फीस) के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित (पहचानित) तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0-4/अनु0-5 और अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित परमिट शुल्क के भुगतान पर राज्य के किसी भी अनु0-1खच से सीधे आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदने की अनुमति होगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।";

(iii) प्ररुप अनु04/अनु0-5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए	₹18,00,000
(ख) जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000
(ग) गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹12,00,000
(घ) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹2,25,00,000 की प्रशमन फीस
(ङ.) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस:

परन्तु ₹6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी।”;

- (iv) (क) खण्ड (ii) में, “₹60,00,000” अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, “₹70,00,000” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) खण्ड (ii-क) “₹50,00,000” अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, “₹60,00,000” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ग) खण्ड (ii-ख) “₹80,00,000” अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, “₹1,00,00,000” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”;
- (घ) खण्ड (ii-ख) में, “विशेषाधिकार फीस” शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“विशेषाधिकार फीस

भारत में बनी विदेशी स्पिरिट	₹22.00 प्रति पूफ लीटर
बीयर	₹16.00 प्रति बल्क लीटर”;

- (v) खण्ड (ii-ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु हरियाणा राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए आवेदक से आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। आशय पत्र विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर कतिपय निबन्धनों तथा शर्तों सहित जारी किया जाएगा। यह सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा तथा प्रथम बार के लिए आशय पत्र प्रदान करने तथा नवीकरण करने के लिए प्रति वर्ष फीस चालीस लाख रुपये होगी। एक वर्ष के प्रथम विस्तार के लिए आशय पत्र की पुनः वैधीकरण के लिए फीस आशय पत्र देने के लिए फीस की दर के समान होगी तथा एक वर्ष के प्रत्येक पश्चात्तवर्ती विस्तार के लिए पुनः वैधीकरण फीस पूर्व वर्ष की फीस का 125 प्रतिशत होगी। आशय पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए फीस जहां पहले आशय पत्र या इसके पुनः वैधीकरण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की गई थी वहां चालीस लाख रुपये तथा पश्चात्तवर्ती पुनः वैधीकरण पूर्व वर्ष की फीस के 125 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।”;

- (vi) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ii-ग) भारत में बनी विदेशी मदिरा पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:—

(क) उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00/- प्रति पूफ लीटर
(ख) उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹20.00/- प्रति पूफ लीटर
(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फ्रेचार्ज फीस उदगृहीत नहीं होती	₹22.00/- प्रति पूफ लीटर
(घ) ब्रुअरज के द्वारा बीयर के बाटलिंग के लिए	₹8.00/- प्रति बल्क लीटर:

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उदग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रेचार्ज) फीस उदगृहीत नहीं की गई है।”;

- (vii) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु प्ररूप अनु0-12 क में अनुज्ञप्ति ₹500 प्रतिदिन समारोह के भुगतान पर एक दिन के लिए कब्जा सीमा से बाहर प्राईवेट स्थान पर व्यक्तिगत के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा दी जा सकती है।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे कि समारोह आयोजित करने, एकत्र होने के लिए बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं को ₹50,000 प्रतिवर्ष की रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान पर जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। ऐसे मामलों में फीस ढांचा निम्न अनुसार होगा:—

- |     |                                                                                                    |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (क) | आबकारी विभाग से रजिस्टर्ड वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए                 | ₹5,000 प्रतिदिन प्रति समारोह  |
| (ख) | वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए जो आबकारी विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। | ₹10,000 प्रतिदिन प्रति समारोह |

सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु0-12 क अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदन में प्रबन्धक के ब्योरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन इत्यादि तथा मेहमानों की अनुमानित संख्या वर्णित होगी।”;

(viii) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख) प्ररूप अनु0-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- |     |                                                        |               |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|
| (क) | राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए                           | ₹18,00,000/-  |
| (ख) | जिला फरीदाबाद के लिए                                   | ₹15,00,000/-  |
| (ग) | गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले | ₹12,00,000/-: |

परन्तु इस उद्देश्य के लिए गठित जिला स्तर समिति द्वारा विहित मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी अवसंरचना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसके अलावा जिला मुख्यालयों के शहरों में स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को एल-12सी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएंगे। अनु0-12ग रखने वाला क्लब अनु0-4/अनु0-5 को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जिसमें 3 स्टार की ग्रेडिंग होगी। इस अनुज्ञप्ति का शुल्क 20 लाख रुपये होगा:

परन्तु यह और कि जिला मुख्यालय के शहरों में आवासीय कॉलोमिनियम के लिए एल-12ग के रूप में अनुज्ञप्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्य बार एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति के बराबर होगा, जब कॉलोमिनियम के अन्दर कोई अतिरिक्त मिनी क्लब प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त मिनी क्लब के लिए अपने मुख्य बार के अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि केवल कॉलोमिनियम या उसके निवासियों के मेहमानों को इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु यह और कि एल-12 सी अनुज्ञप्ति सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(ix) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(iv-ग) प्ररूप अनु0-12 ग ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- |     |                                                             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|
| (क) | 9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय बिन्दुओं सहित)   | ₹30,00,000  |
| (ख) | 18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय बिन्दुओं सहित) | ₹50,00,000: |

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु0-12 गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी 12.00(मध्य रात्रि) बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों का समय दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घण्टे तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 1 पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए स्थल के अलावा प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2 हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त फीस पर चलाने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12 गग कल्ब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

- (x) खण्ड (v) में, खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(v) (i) देसी मदिरा (अनु0-13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

- (1) ₹35.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख पुफ लीटर से कम है।
- (2) ₹50 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख पुफ लीटर के बराबर या इससे अधिक है।

अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹10.00 लाख प्रति अनु0-13 की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।”;

- (xi) खण्ड (i-गग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-गग) प्ररूप अनु0-1 क ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹50,00,000;”;

- (xii) खण्ड (i-ड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-ड) प्ररूप अनु0-1 ख में अनुज्ञप्ति के लिए

- (1) राज्य में स्थित आसवनी का अनु0-1ख ₹50,00,000
- (2) राज्य से बाहर स्थित आसवनी का अनु0-1ख ₹1,00,00,000;”;

- (xiii) खण्ड (i-डड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-डड) (क) ब्रुअर को प्ररूप अनु0-1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹1,00,00,000;”  
 (ख) वाईन निर्माता को प्ररूप अनु0-1ख1 में ₹50,00,000;”  
 अनुज्ञप्ति के लिए

- (xiv) खण्ड (i-डडड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-डडड) प्ररूप अनु0-1ख1-क में अनुज्ञप्ति के लिए ₹1,00,00,000;”  
 (पीने के लिए तैयार पेय)

- (xv) खण्ड (i-डडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडड) प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- (क) अनु0-1खच के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹16,00,00,000 होगी;
- (ख) विभाग के पोर्टल पर प्रार्थना पत्र को आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;
- (ग) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत स्वामित्वधारी फर्म या एक सांझेदारी फर्म, या कम्पनी होगी;
- (घ) आवेदक ₹1,00,000 का आवेदन शुल्क और ₹1,60,00,000 का अग्रिम धन राशि जमा करेगा। आवेदन शुल्क गैर वापसीयोग्य होगा। जिसका विवरण अपने आवेदन में करेगा;
- (ङ) वे सभी आवेदन, जो क्रम में पाये जाते हैं, ड्रॉ ऑफ लाट्स के योग्य माने जायेगे। पंचकुला में विभाग के प्रमुख कार्यालय में उपस्थित होने या चयन करने वालों की उपस्थित में ये ड्रा ऑफ लाट्स निकाले जायेगे;
- (च) आवेदकों को अनुज्ञप्तियाँ, विभाग के प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत करने के अध्यक्षीन प्रदान की जाएगी, यदि कोई आवेदक, विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त को, ऐसी रीति, जो वह राजस्व के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

- (छ) सफल आवेदक आबंटन के तीन दिन के भीतर अनुज्ञप्ति शुल्क के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करेगा;
- (ज) निम्नलिखित मामलों में आवेदक का अग्रिम धनराशि जब्त कर लिया जायेगा:—
- यदि आवेदक अपने आवेदन में कोई गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है;
  - यदि आवेदक किसी भी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है;
  - यदि सफल आवेदक आबंटन के तीन दिन के भीतर प्रतिभूति राशि की किस्त जमा करने में विफल रहता है;
  - यदि सफल आवेदक उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। किसी अन्य कारण के लिए जैसा कि आबकारी आयुक्त उचित समझे।
- (झ) सफल आवेदक भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार दस मासिक किस्तों में अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा। 21 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने में हुई देरी की अवधि के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार ब्याज उद्ग्रहणीय होगा;
- (ण) अनु0—1खच अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम कोटा निम्नानुसार नियत किया जायेगा:—
- विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी आदि 25000 पेटियाँ
  - बीयर 25000 पेटिया
  - वाईन, साईडर, लीकर आदि 12000 पेटिया
- परन्तु बशर्ते कि अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष में उपर बताए अनुसार न्यूनतम कोटा उठाना होगा। यदि न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता के कारण विस्की और शराब के मामलों में ₹5000 प्रति पेटी शास्ति जो उपरोक्त (i), (iii) में दर्शायी गई है, तथा ₹2500 प्रति पेटी बीयर के मामले में उपरोक्त (ii) के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तिमाही के आधार पर कोटे की निगरानी की जायेगी। संचयी आधार पर गणना की गई सभी तिमाहियों के अन्त में उठाए गए कोटे की कम मात्रा के लिए शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। तिमाही में दंडित किए गए कोटे की कमी के मामले में, उसी कोटे को बाद के किसी भी तिमाहियों में फिर से दंडित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक खण्ड का वार्षिक कोटा 25 प्रतिशत होगा। वाईन के कोटे को विस्की के सेगमेन्ट में किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना गणना किए जाने के अनुरोध पर स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जायेगी;
- (ट) सभी अनु0—1खच अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों को खोलने के लिए हकदार होंगे, जिन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार किसी एक या किसी भी संयोजन में शाखाएं दी गई हैं:—

				न्यूनतम कोटा(4)	
स्थान का नाम(1)	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस (2)	जलागम क्षेत्र (3)	विस्की	बीयर	वाईन
फरीदाबाद	50 लाख	फरीदाबाद तथा पलवल	6000 पेटियाँ	6000 पेटियाँ	2000 पेटियाँ
करनाल	25 लाख	करनाल, कुरुक्षेत्र तथा कैथल	3000 पेटियाँ	3000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ

पानीपत	25 लाख	पानीपत तथा सोनीपत	3000 पेटियाँ	3000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ
पंचकुला	25 लाख	पंचकुला, यमुनानगर तथा अम्बाला	5000 पेटियाँ	5000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ
रिवाड़ी	25 लाख	रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़	3000 पेटियाँ	3000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ
रोहतक	25 लाख	रोहतक, जीन्द, भिवानी तथा झज्जर	3000 पेटियाँ	3000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ
हिसार	25 लाख	हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा	3000 पेटियाँ	3000 पेटियाँ	1000 पेटियाँ

- (ट) अनुज्ञप्तिधारक बिना किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त कोटा का भी हकदार होगा, जो न्यूनतम कोटा का 15 प्रतिशत होगा। यह उसके न्यूनतम कोटा को समाप्त करने के बाद उपलब्ध होगा। कोटा की और आवश्यकता के मामले में, न्यूनतम कोटा और अतिरिक्त कोटा समाप्त करने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी को ₹1.5 करोड़ के विशेष शुल्क के भुगतान पर वार्षिक कोटा के 10 प्रतिशत के स्लैब में अतिरिक्त कोटा के लिए हकदार होगा। ₹1.5 करोड़ के भुगतान पर अतिरिक्त कोटा भी के पिछले स्लैब को समाप्त करने के बाद वार्षिक कोटा के 10 प्रतिशत के स्लैब में अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया जा सकता है;

परन्तु कि शाखाओं के लिए भी 15 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा दिया जायेगा। शाखाओं के लिए न्यूनतम कोटा समाप्त करने के बाद इसकी अनुमति दी जायेगी। शाखाओं के लिए न्यूनतम कोटा के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त कोटा प्रदान नहीं किया जायेगा। तथापि, पंचकुला शाखा के न्यूनतम कोटा के 10 प्रतिशत के लिए 2.5 लाख रुपये के भुगतान पर पंचकुला में शाखा के लिए अतिरिक्त कोटा की अनुमति दी जायेगी।

#### परमिट फीस

(क) विस्की	₹ 75/- प्रति पुफ लीटर
(ख) वाईन	₹75/- प्रति बल्क लीटर
(ग) बीयर	₹30/- प्रति बल्क लीटर

#### ब्राण्ड लेबल फीस

(क) स्कोच/विस्की	₹ 70,000 प्रति ब्रांड
(ख) बीयर	₹ 60,000 प्रति ब्रांड
(ग) रम/वोदका/वाईन	₹ 35,000 प्रति ब्रांड
(घ) जिन/ब्राण्डी साईडर/ चैम्पेजन/लिकअर	₹ 25,000 प्रति ब्रांड";

#### मूल्यांकन फीस

(क) विस्की	₹250/- प्रति पुफ लीटर
(ख) वाईन	₹100/- प्रति बल्क लीटर
(ग) बीयर	₹250/- प्रति बल्क लीटर

- (ढ) आयातित विदेशी शराब पर वैट 5 प्रतिशत अधिभार के साथ 10 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा;

- (ड) वर्ष 2018-2019 के लिए अनु0-1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2019-2020 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 31-03-2019 को आयायाति विदेशी शराब का बचा हुआ स्टॉक हस्तांतरित कर सकता है। स्टॉक को परमिट शुल्क में वृद्धि और मूल्यांकन शुल्क के

लाभ से उत्पन्न अन्तर राशि के भुगतान पर स्थानान्तरिकत किया जायेगा। इसके अलावा विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी आदि के लिए ₹120 प्रति पुफ लीटर की दर से और वाईन के लिए ₹120 प्रति बल्क लीटर और बीयर पर ₹50 प्रति बल्क लीटर की दर से ट्रांसफर शुल्क भी लगाया जायेगा;

(xvi) खण्ड (i-छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-छ) प्ररुप अनु0-1-ग में अनुज्ञप्ति के लिए	प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
(i) विस्की/स्कोच	₹ 1,00,000 प्रति ब्राण्ड
(ii) बीयर	₹ 80,000 प्रति ब्राण्ड
(iii) रम	₹ 60,000 प्रति ब्राण्ड
(iv) जिन/वोदका	₹ 45,000 प्रति ब्राण्ड
(v) वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन	₹ 30,000 प्रति ब्राण्ड
(vi) सीएसडी की आपूर्ति के लिए वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन	₹ 15,000 प्रति ब्राण्ड
(vii) देसी मदिरा	₹ 1,00,000 प्रति ब्राण्ड
(viii) पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 90,000 प्रति ब्राण्ड
(ix) राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए)	₹ 75,000 प्रति ब्राण्ड:

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्ग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रैन्चाईज) फीस उद्ग्रहीत नहीं की गई है।”।

3. उक्त नियमों में, नियम 27-क में,-

उप-नियम (1) में, खण्ड (iii) तथा (iv)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(iii) (क) शापिंग माल में स्थित अनु0-2 अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त प्ररुप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 10,00,000
(ख) शापिंग माल में डिपार्टमेंटल स्टोर में स्थित प्ररुप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 25,00,000
(iv) (क) माइक्रोब्रीवरी द्वारा प्राप्त प्ररुप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 20,00,000
(ख) अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त प्ररुप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 12,00,000

बशर्ते कि लाईसेंस शुल्क के अलावा अनु0-10 ग अनुज्ञप्तिधारी से ₹3,00,000 की सिक्योरिटी राशि ली जाएगी।

(v) प्ररुप अनु0-10ड में अनुज्ञप्ति के लिए	₹ 10,00,000
-------------------------------------------	-------------

परन्तु अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारी से ₹3,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 36-क में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) देसी मदिरा और भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बाजारों का आबंटन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-निविदा के माध्यम से गुप जोनों में किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनो शामिल होंगे। अनुज्ञप्तिधारी को ठेका के किस्म अर्थात् केवल देसी मदिरा या केवल भारत में निर्मित विदेशी



मदिरा या दोनों देसी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्णय करने के लिए सुगमता होगी। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट, आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0), बीयर, वाईन, साइडर और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ शामिल होंगे। कुल सीमा छह खुदरा ठेकों की होगी और जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पूर्व अनुमोदन से जोन के कमाण्ड क्षेत्र में अपना ठेका किसी स्थल पर स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देसी मदिरा/भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रत्येक व्यक्ति के ठेके हेतु भी अनुपातिक कोटे का निर्णय करेगा। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी अनु0-2, अनु0-14क ठेकों, उप-ठेकों तथा अनुमत कक्ष की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को अपलोड करेंगे। आबकारी व्यवस्था तैयार करने के बाद, जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने कार्यालय, जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के साथ-साथ सम्बन्ध संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) कार्यालय तथा विभाग की वेबसाइट [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) पर आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा और सार्वजनिक/हितधारकों से प्रदर्शन के बाद दो दिन के लिए आपत्तियों को आमन्त्रित करेंगे और दो दिन के भीतर यदि कोई आश्रेय है तो उसका निर्णय किया जायेगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा;

परन्तु ठेकों के अन-अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से आरक्षित मूल्य को क्रमिक रूप से कम करके जारी रखा जाएगा:-

- (i) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लैब में;
- (ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 25 अप्रैल तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 25 अप्रैल को छुट्टी होती है, जो भी पहले हो और इस सम्बन्ध में आबकारी तथा कराधान आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रुपये जो भी कम हो, से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।”;

- (ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹1,00,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी- योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उनके पंजीकरण के जिले के सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।”;

- (iii) उप-नियम (17) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा:-

तिमाही	मासवार	
अप्रैल	9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
मई	8 प्रतिशत	
जून	8 प्रतिशत	

जुलाई	7 प्रतिशत	20 प्रतिशत
अगस्त	7 प्रतिशत	
सितम्बर	6 प्रतिशत	
अक्टूबर	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत
नवम्बर	10 प्रतिशत	
दिसम्बर	10 प्रतिशत	
जनवरी	9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
फरवरी	8 प्रतिशत	
मार्च	8 प्रतिशत	

अनुज्ञप्तिधारी को तिमाही आधार पर अपने देशी शराब के अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में बदलने की स्वतन्त्रता होगी।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 55/- रुपये तथा 100/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी जिले के अन्दर तिमाही आधार पर अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹7 प्रति प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹13 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण किया जाएगा जो कोटा अंतरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसेंसी के द्वारा अदा की जाएगी।”;

(iv) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(19) कोई भी व्यक्ति जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थान के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्केट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थान वर्ष 2019-20 में ठेके की स्थापना के पश्चात्पूर्वी वर्ष की चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।”;

(v) उप-नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(22) आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र और हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों का प्रस्ताव/सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा तय किए गए किराए का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सीधे तौर पर ऐसे विभाग/कारपोरेशन को अदा किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मोनिटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्प्लैक्सों की दशा में केवल अनु0-2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्प्लैक्सों में अनु0-2 के साथ कोई अनुमत कक्ष नहीं खोला जाएगा।”;

(vi) उप-नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक-गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क

के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा:

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा लाईसैंसियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) के जाँच करने के बाद प्रत्येक केस पर ₹500 की शास्ति लाईसैंसी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹15 करोड़ के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु0-2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद अवंत ग्रेड आउटलेट में अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी (समिति) द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2019 तक जमा कराई जाएगी।

अगर बोली की कीमत जो आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, बोलीदाता को अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम राशि का शेष राशि प्रतिभूति राशि के रूप में सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास जमा करनी होगी। सफल बोली दाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत सिक्वोरिटी के रूप में जमा किया जाएगा।

उसके बोली धन का 82 प्रतिशत उसके बोली धन के 8.2 प्रतिशत की दस बराबर मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तारीख तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 82 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 18 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 82 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 9 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) उसके बोली धनराशि के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2020 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन के तिथि के दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 82 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2019 के बाद किया जाता है तो उसके बोली धन का 82 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

यदि आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा। कोई भी ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।”।

## 5. उक्त नियमों में, नियम 37 में,—

(i) उप-नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

“(10) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) तथा स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त) को अपना ठेका सायं 5.00 बजे तक तथा महात्मा गाँधी के जन्मदिन (2 अक्टूबर) को पूरा दिन बन्द रखना होगा। हरियाणा राज्य में या सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में तथा निकटवर्ती राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के 3 कि०मी० के भीतर क्षेत्रों में मतदान से पूर्व दो दिन की अवधि के लिए, मतदान के बाद एक दिन, मतगणना के दिन(दिनों) से पूर्व, मतगणना के दिन(दिनों), उसके बाद आगामी दिन जहाँ मतदान भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य विधान सभा या संसद के लिए तथा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव में किया जाता है, बन्द रखना होगा। ऐसे कारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस में किसी प्रकार की सहायता की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी तथा इस नियम के उल्लंघन की दशा में, दाण्डिक कार्यवाही के अतिरिक्त, अनुज्ञप्त ठेका आबकारी तथा कराधान अधिकारी तथा कलक्टर की सूचना के अधीन उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त(आबकारी) द्वारा शुष्क दिन के आगामी दिन से प्रारम्भ सात दिन के लिए स्वतः मोहर बन्द कर दिया जायेगा।”;

(ii) उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) देशी मदिरा के लिए ₹ 7.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹13.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹11 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उद्गृहीत की जाएगी,

परन्तु कि कलैक्टर(आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा लाईसेंस को, केवल थोक लाईसेंस की स्थिति में, पिछले वर्ष के लाईसेंस के बचे हुए स्टॉक को अंतर-जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थोक लाईसेंस के द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलैक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य लाईसेंस या दूसरे जिले के लाईसेंस को भी हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

टिप्पण:— जहाँ वर्ष 2019-2020 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क के रेट में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2018-2019 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक 01-04-2019 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।”।

## 6. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप नियम (16क) में,—

(i) खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(कक) मदिरा बेचने के लिए किसी दुकान को कोई लाईसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात्—

(i) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से दिखाई देने वाला;

(ii) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला; तथा

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग या ऐसे राज मार्गों के साथ लगने वाली सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित होंगे:

परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित शराब के ठेकों पर लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि 20000 लोगों या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामलों में, 500 मीटर की दूरी 220 मीटर तक कम हो जाएगी। बशर्ते कि पहले के वर्षों की तरह, खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण, नगरपालिका उप-नियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 2002, पंजाब अनुसूचित सड़कें और असंगठित विकास अधिनियम, 1963 के नियंत्रित क्षेत्र, जहाँ भी आवश्यकता हो, या अन्य किसी कानून के लागू होने पर, विभिन्न प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणः— उपरोक्त नियत निबन्धनों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ०) की जिम्मेवारी होगी।”।

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(छ) (क) उप टेका खोलने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप एल-14क/एस०वी० में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। शहरी क्षेत्रों के लिए, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ०) द्वारा प्रत्येक जोन में दो उप-टेके तक खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ०) द्वारा केवल शहरी क्षेत्रों के लिए जोन के कमाण्ड एरिया के भीतर अनुज्ञप्तिधारियों से विशिष्ट अनुरोध पर और उनके कमाण्ड क्षेत्र में अवैध शराब की अवैध बिक्री या अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और तस्करी से बचने के लिए दो उप-टेकों तक खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक उप टेके की लाईसेंस फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी:—

शहरी क्षेत्रों		ग्रामीण क्षेत्र
2 उप-टेकों तक	आगे दो उप-टेकों के लिए	
₹20.00 लाख	₹30.00 लाख	₹2.00 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में उप टेकों के लिए प्रावधान नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू किया जायेगा:—

- (ख) उप-टेके 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;
- (ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप-टेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;
- (घ) दो उप-टेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किये जाएंगे, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है।”।

अमित कुमार अग्रवाल,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th March, 2019

**No. 35 /X-I/P.A. 1/1914/S.59/2019.**— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 98/X-I/P.A.1/1914/S.9/2018, dated the 31st October, 2018, I, Amit Kumar Agrawal, Excise Commissioner, Haryana exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2019.
2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-
  - (i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) for a license in form L-1,-

- (a) ₹1.30 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is less than or equal to 25 lakh Proof Litre.
- (b) ₹1.50 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 25 lakh Proof Litre and less than or equal to 50 lakh Proof Litre.
- (c) ₹2.00 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 50 lakh Proof Litre.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security of thirty lakh rupees is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act.”;

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

- (a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above: ₹ 45,00,000

Provided that L-4/L-5 licensees shall also be granted in emerging residential townships and such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula:

Provided further that such licensees shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. L-4/L-5 licensee bars can remain open upto 12.00 hours (Midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of Rs. 10 Lakh. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ Rs. 5% on VAT.

- (b) Hotels having grading of 4 Star: ₹ 38,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 4 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within the financial year of grant, failing which the provisional license shall not be renewed subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

- (c) Hotels having grading of 3 Star: ₹ 20,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one - time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 and L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) directly from any L-1BF in the State subject to the payment of prescribed permit fee.

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

- (iii) For a license in form L-4/L-5, for clause (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted namely:-

(a)	for revenue district Gurugram	₹18,00,000
(b)	for district Faridabad	₹15,00,000
(c)	for all other districts in the State except Gurugram and Faridabad	₹12,00,000
(d)	for Bar(s) operated by Haryana Tourism Corporation.	A composite fee of ₹ 2, 25,00,000
(e)	Bars operated by Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs:	A composite fee of ₹ 1,50, 00,000

Provided that a composite security of ₹6,00,000 Lacs shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Urban Development Authority in addition to the composite license fee.

- (iv) (a) in clause (ii), for the figure and sign “60,00,000”, the figure and sign “70,00,000” shall be substituted;
- (b) in clause (ii-a), for the figure and sign “50,00,000”, the figure and sign “60,00,000” shall be substituted;
- (c) in clause (ii-b), for the figure and sign “80,00,000”, the figure and sign “1,10,00,000” shall be substituted;
- (d) in clause (ii-b), for heading “Franchise Fee” and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely:-

“Franchise Fee

Indian Made Foreign Spirit	22.00 per proof litre
Beer	16.00 per bulk litre”;

- (v) after clause (ii-b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a bottling plant in the State of Haryana. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a specified period of validity. It shall be issued with the permission of the Government and a fee per annum for grant and renewal of letter of intent shall be forty lac rupees. Fee for revalidation of letter of intent for the first extension of one year shall be at the rate equal to the fee for grant of letter of intent and for each subsequent extension of one year, the revalidation fee shall be 125% by the previous year’s fee. The fee for revalidation of letter of intent where previously no fee for letter of intent or its revalidation was charged shall be charged at the rate of forty lac rupees and subsequent revalidation shall be 125% of the previous year’s fee”.

- (vi) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely : -

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit shall be levied as under: -

(a)	for D-2 licenses bottling their own brands	₹ 15.00/- per Proof Litre
(b)	for bottling plants bottling their own brands	₹ 20.00/-per Proof Litre
(c)	for bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹ 22.00/- per Proof Litre
(d)	for bottling of beer by the brewers	₹ 8.00/- per Bulk Litre

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

(vii) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that a license in form L-12A may be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) to an individual at private place beyond possession limit for a day on payment of ₹500 per day function.

The commercial places like banquet halls, farm houses, community centres, dharamshalas holding functions, get-togethers shall have to be registered with the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District on payment of a registration fee Rs. 50,000/- per annum. The fee structure in such cases shall be as under:-

- |     |                                                                                        |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (a) | for persons serving liquor at commercial places registered with Excise department.     | ₹5,000 per day per function  |
| (b) | for persons serving liquor at commercial places not registered with Excise department. | ₹10,000 per day per function |

The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall mention the details of caterer i.e. name and style, GSTIN, the approximate number of guests and the quantity of liquor.”.

(viii) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(iv-b) for a license in form L-12C,-

- |     |                                                                    |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (a) | for revenue district Gurugram                                      | ₹ 18,00,000/-   |
| (b) | for district Faridabad                                             | ₹ 15,00,000/-   |
| (c) | for All other district in the State except Gurugram and Faridabad: | ₹ 12,00,000/-”. |

Provided that L-12C licenses shall be granted to the Clubs of repute situated in the district headquarter cities, except as provided hereunder, having infrastructure and level of facilities required to meet the parameters and condition prescribed by the District Level Committee constituted for this purpose. The club having L-12 C license shall be entitled to all the facilities granted to L-4/L-5 having grading of 3 star. The fee of this license shall be Rs.20 Lakh:

Provided further that a new license in the form of L-12C for residential condominium shall be allowed at district headquarter cities. The main bar shall be equivalent to the L-4/L-5 license while any additional mini club within the condominium shall also get license @ 20% of the license fee of its main bar for each such additional mini club. This will be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be allowed to utilize this facility:

Provided further that in case of L-12C license granted to Sirhind Club, Ambala, the army official shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen:

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

(ix) for clause (iv-c) and entries thereagainst the following clauses and entries thereagainst shall be substituted namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- |     |                                                                  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|
| (a) | Golf Club with the capacity Up to 9 holes (with 2 sale points).  | ₹ 30,00,000/- |
| (b) | Golf Club with the capacity Up to 18 holes (with 3 sale points). | ₹ 50,00,000/- |

Provided that license to serve liquor shall only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee can remain open up to 12:00 hours (midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of ₹ 10 lac.



Note 1. - Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.

Note 2. - In case of bars operated by Haryana Tourism and Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs. They shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

(x) in clause (v), for clause (i) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(v) (i) The annual license fee for the wholesale outlet of country liquor (L-13) shall be as under:-

- (1) ₹ 35.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is less than 50 lakh PL.
- (2) ₹ 50.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or more than 50 lakh PL.

The licensee shall be required to deposit a refundable security amount of ₹ 10.00 lakh per L-13 outlet in the district.

(xi) for clause (i-cc) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-cc) for a license in form L-1AB-1 ₹ 50,00,000;”

(xii) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B,-

- (1) L-1B of Distillery situated in the State ₹50 lakh
- (2) L-1B of Distillery situated outside the State ₹1.00 crore

(xiii) for clause (i-ee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

- “(i-ee) (a) for a license in form L-1B1 to a brewer ₹ 1,00,00,000;”  
 (b) for a license in form L-1B1 to wine manufacture ₹ 50,00,000;”

(xiv) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-eee) for a license in form L-1B1-A ₹ 1,00,00,000;”

(Ready to drink beverages)

(xv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

“(i-eeee) For a license in form L-1BF. –

- (a) The license fee for L-1BF shall be ₹16,00,00,000.
- (b) The license shall be granted by inviting application on the department portal.
- (c) The applicant shall be allowed to make only one application. The applicant shall be, a proprietor firm or a partnership firm, or , a company registered under the Companies Act, 1956.
- (d) The applicant shall deposit application fee of ₹1,00,000 and earnest money of ₹1,60,00,000. The application fee shall be non refundable. The details of which shall be furnished in his application.
- (e) All the applications which are found in order shall be considered eligible for draw of lots. The draw of lots shall be conducted in the presence of those who choose to be present in the Head office of the Department at Panchkula.

- (f) The licenses to the applicants shall be granted subject to their acceptance of the proposal of the department, in case the applicants do not accept the proposal of the department, The Excise and Taxation Commissioner shall be authorized to grant the license in such manner as he may deem fit in the best interest of the revenue. The process for allotment of L-1BF license shall be scrapped, if there is single application.
- (g) The successful applicant shall deposit security amount equal to 21% of the license fee within three days of the allotment.
- (h) The earnest money of the applicant shall be forfeited in the following cases:-
- (i) In case the applicant furnishes any false or forged document in his application
  - (ii) In case the applicant is found guilty of indulging in any malpractice
  - (iii) If the successful applicant fails to deposit installment of security amount within three days of the allotment.
  - (iv) If the successful applicant fails to furnish documents as he is required to submit to the department within the seven days of the allotment. For any other reason as the Excise Commissioner may think fit.
- (i) The successful applicant shall pay the license fee in ten monthly installments as per provisions applicable to retail licenses of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor. The security amount of 21% shall be adjusted towards the balance amount of license fee in the end of the financial year. The interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.
- (j) The minimum quota for L-1BF License shall be fixed as under:-
- (i) Whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin, Brandy etc. 25000 cases
  - (ii) Beer 25000 cases
  - (iii) Wine, Cider, Liqueur etc 12000 cases

Provided that the licensee shall have to lift the minimum quota as mentioned above in the financial year. In case of failure to lift the minimum quota shall attract a penalty of ₹5000 per case of whisky and wine as mentioned above in (i), (iii) and ₹2500 per case of beer as mentioned above in (ii). The quota shall be monitored on quarterly basis. Penalty shall be leviable for deficient quantity of quota lifted at the end of all the quarters calculated on cumulative basis. In case of shortage of quota penalized in a quarter, the same quota shall not be penalized again in any subsequent quarters(s). Each quarter shall have 25% of the annual quota of each segment. The quota of wine shall be allowed to be transferred on request to the segment of whisky to be computed by cases without any additional fees.

- (k) All the L-1BF licensee shall be entitled for opening an additional licensed premises called branches at any one or any combination given as per the table given below:-

Name of Place (1)	Additional License fee (2)	Catchment Area (3)	Minimum Quota (4)		
			Whisky	Beer	Wine
Faridabad	50 Lakh	Faridabad and Palwal	6000 cases	6000 cases	2000 cases
Karnal	25 Lakh	Karnal, Kurukshetra & Kaithal	3000 cases	3000 cases	1000 cases
Panipat	25 Lakh	Panipat & Sonapat	3000 cases	3000 cases	1000 cases
Panchkula	25 Lakh	Panchkula, Yamuna Nagar & Ambala	5000 cases	5000 cases	1000 cases

Rewari	25 Lakh	Rewari & Mahendergarh	3000 cases	3000 cases	1000 cases
Rohtak	25 Lakh	Rohtak, Jind, Bhiwani & Jhajjar	3000 cases	3000 cases	1000 cases
Hisar	25 Lakh	Hisar, Fatehabad & Sirsa	3000 cases	3000 cases	1000 cases

- (l) The licensee shall also be entitled to 'Extra Quota' which will be 15% of 'minimum quota' without any additional license fee. It will be available after exhausting his 'minimum quota'. In case of any further requirement of quota, after exhausting the minimum quota and extra quota, the licensee shall be entitled to further additional quota in the slab of 10% of annual quota on payment of special fee of Rs.1.5 Crore. Subsequent additional quota in the slabs of 10% of annual quota can also be obtained after exhausting the previous slab of additional quota on payment of Rs.1.5 Crore each.

Provided that 15% Extra quota shall be allowed for branches as well. It will be allowed after exhausting the 'minimum quota' for the branches. No additional quota shall be provided in respect of minimum quota for branches. However, additional quota shall be allowed only for the branch at Panchkula on payment of Rs.2.5 Lakh for 10% of 'minimum quota' of Panchkula branch.

#### Permit Fee

- (a) Whisky ₹ 75 per Proof litre  
 (b) Wine ₹ 75 per Bulk litre  
 (c) Beer ₹ 30 per Bulk litre

#### Brand Level Fee

- (a) Scotch/Whisky, ₹ 70,000 per brand  
 (b) Beer ₹ 60,000 per brand  
 (c) Rum/Vodka/Wine ₹ 35,000 per brand  
 (d) Gin/Brandy Cider/Champagne/Liquor ₹ 25,000 per brand.”;

#### Assessment Fee

- (a) Whisky ₹ 250 per Proof litre  
 (b) Wine ₹ 100 per Bulk litre  
 (c) Beer ₹ 250 per Bulk litre  
 (m) VAT on Imported Foreign Liquor (BIO) shall be charged at the rate of 10% with surcharge @ 5%.  
 (n) The outgoing licensee of L-1BF for the year 2018-2019 can transfer quota of unsold stock of imported foreign liquor as on 31-03-2019 to any of incoming licensees for the year 2019-2020. The stock shall be transferred on payment of differential amount arising from increase in permit fee and levy of assessment fee. In addition, a transfer fee shall also be levied @ ₹ 120 per proof litre for whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin and Brandy etc. and ₹ 120 per Bulk litre for wine and ₹ 50 per Bulk litre for beer.

- (xvi) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely :-

“(i-g) For a license in form L-1-C	Annual fee at the rates given below against each :-
(I) Whisky/ Scotch	₹ 1,00,000 per brand
(II) Beer	₹ 80,000 per brand
(III) Rum	₹ 60,000 per brand

(IV)	Gin/Vodka	₹ 45,000 per brand
(V)	Wine/Brandy/Cider/Champagne	₹ 30,000 per brand
(VI)	Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD	₹ 15,000 per brand
(VII)	Country Liquor	₹ 1,00,000 per brand
(VIII)	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 90,000 per brand
(IX)	Brand label fee for exports out of State (for all types of brands):	₹ 75,000 per brand

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

3. In the said rules, in rule 27-A,-

in sub-rule (1), for clauses (iii), (iv) and (v) the following clauses shall be substituted, namely:-

“(iii)	(a)	The fee for license in form L-10B obtained by L-2 licensee Located in shopping malls.	₹10,00,000
	(b)	The fee for license in form L-10B located in departmental sotres in the shopping malls.	₹25,00,000
(iv)	(a)	The fee for license in form L-10C obtained by Microbrewery.	₹20,00,000
	(b)	The fee for license in form L-10C obtained by L-4/L-5 licensee.	₹12,00,000

Provided that a security of ₹3,00,000 shall be taken from L-10C licensees in addition to the license fee.

(v)	for a license in form L-10E	₹10,00,000
-----	-----------------------------	------------

Provided that a security of ₹3,00,000 shall be taken from L-10E licensees in addition to the license fee.

4. In the said rules, in rule 36-A,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of retail outlets of country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be grouped into Zones in urban and rural areas through e-tendering. The Command area of a Zone shall be the geographically area specified for the Zone in the Excise Arrangements. The Command area for a Zone shall include both urban and rural areas. The licensee shall have the flexibility to decide the type of vend i.e. Country Liquor only or Indian Made Foreign Liquor only or both Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor. The Indian Made Foreign Liquor shall include Indian Made Foreign Spirit, Imported Foreign Liquor (BIO), Beer, Wine, Cider and Ready to drink beverages. The overall limit shall be of six (06) retail vends, and shall locate his vends at any place within the command area of the Zone with prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The licensee shall also decide the proportionate quota for each individual vend for Country Liquor/ Indian Made Foreign Liquor as the case may be. The process of allotment shall be conducted by a committee consisting of the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective districts as its members in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall upload the Geographic Information System coordinates of all L-2, L-14A vends, sub-vends and anumat-kaksh located in his district.

After preparing the Excise Arrangement the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall display the same in his office, office of the Deputy Commissioner of the district, office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district as well as office of the Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned and on the departmental website

[www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) and shall invite the objections from the public/stakeholders for two days after the display and shall decide these objections if any within two days. The decision of the concerned Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall be final.

Provided that allotment of un-allotted zones of vends, the process of inviting tenders shall be continued by successively reducing the reserve price in the following manner:-

- (i) In the slab of 5% of the original reserve price in case reserve price of the zone is less than Rs. 5.00 crore,
- (ii) In the slab of 3% of the original reserve price in case reserve price of the Zone is more than Rs.5.00 Cr. till these are allotted or up to 25th April, or the next working day in case 25th April happens to be a holiday, whichever is earlier and the decision of Excise and Taxation Commissioner in this regard shall be final.

Provided further that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by 10 % of the above mentioned original reserve price or Rs. 50 lac, whichever is lower and the process of inviting e-bids shall be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee.”

- (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹1,00,000 for each Zone. The participation fee is non refundable and non adjustable. The participation fee shall be deposited in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district of his registration concerned either in cash or by demand draft in favour of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”

- (iii) In sub-rule (17), the following words shall be added at end, namely :-

“The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located at every district headquarter in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Quarter	Monthwise	
April	9%	25%
May	8%	
June	8%	
July	7%	20%
August	7%	
September	6%	
October	10%	30%
November	10%	
December	10%	
January	9%	25%
February	8%	
March	8%	

The licensee shall have the freedom to convert maximum 10% of his Country Liquor quota to Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs. 55/- and Rs. 100/- per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively (on a quarterly basis) for the deficient quantity.

The licensee shall also be allowed to transfer his quota on a quarterly basis, within an excise district, after paying the transfer fee of ₹ 7.00 per Proof Litre for Country Liquor and ₹ 13.00 per Proof Litre for Indian made foreign liquor which shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request for transfer of quota”.

- (iv) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/college/main bus stand and a place of worship. However, Excise Commissioner can relax such distance for the location of retail liquor outlet for 150 meters to 75 meters on the recommendations of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Further, in urban areas, the retail liquor outlets shall be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year subsequent to the establishment of vend in the year 2019-2020.”.

- (vi) for sub- rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(22) The Excise and Taxation Department shall offer/facilitate setting up liquor vends having high revenue potential in Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation area and land of Haryana Tourism Corporation/Urban Local Bodies. However, the rent thereof, as decided by the concerned Department/Corporation, shall be paid by the licensees directly to such Department/Corporation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall monitor and ensure its compliance on a quarterly basis. However, in case of Haryana Tourism Complexes, only L-2 vends will be allowed. No Anumat Kaksh will be allowed with the L-2 vends in the tourist complexes.”.

- (v) for sub- rule (24) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(24) The licensee shall convert one or more of his composite vends/sub-vends to Avant-Garde Outlet(s) in posh market or shopping mall of the urban area, where he intends to sell Indian Made Foreign Liquor only. For this purpose, some of the retail outlets in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified to be allotted as Avant-Garde Outlets. The Avant-Garde Outlets shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The Avant-Garde Outlets shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The Avant-Garde Outlets shall be entitled to lift an additional quota up to 10% of his basic quota without any additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as applicable to basic quota:

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all the retail licensees to issue an invoice on sale. In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 500 per incident shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise) concerned. It is provided further that if any retail Licensee in urban areas having license fee of his zone equal to or above ₹ 15 crore, wants to convert his vend into a Avant-Garde Outlet after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.”.

“(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 21% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, whichever is earlier; and the remaining security equal to 11% of the license fee shall be deposited by 7th of April, 2019.

In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall be required to have balance of minimum amount equal to 15% of his bid amount deposited as Earnest Money Deposit (EMD) with the Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned. In case of successful bid, 15% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 15% security.

The 82% of his bid money shall be payable by him in ten equal monthly installments equal to 8.2% of his bid money; each payable by 20<sup>th</sup> of each month starting from the month of commencement of his operation of vends in their Zones, and every subsequent month. The payment shall continue till

full amount of 82% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 18% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 82% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of two months in two equal installments; each equal to 9 % of his bid money.

“(26) The balance security equal to 3 % of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 15<sup>th</sup> April, 2020. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum.

“(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 11% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 82% of the license fee shall be payable upto January in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2019, the 82% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 20th if allotment takes place before 20th or the last day of the month if allotment takes place on or after 20th. No interest shall be payable on the security amount.”

5. In the said rules, in rule 37, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(i) for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10) Every licensee shall have to keep its vend closed on Republic Day (26th January) up to 5:00 P.M, Independence Day (15th August) up to 5:00 P.M, Mahatma Gandhi’s Birthday (2nd October) full day. In the area within the concerned constituency and in the adjoining areas within 3 kilometres of the constituency in the State of Haryana or in the adjoining States for the period of two days before polling days, the polling days, the day after the poll, the days before the counting day(s), the counting day(s), the day immediately thereafter where polling is held for the State Assembly or Parliament as per the directions of the Election Commission of India and election to local bodies in Haryana as per the directions of the Haryana State Election Commission. No compensation of any kind or relief in license fee for such account shall be given and in case of breach of this rule, in addition to the penal proceedings, the licensed vend shall be automatically sealed for seven days commencing from the next day of the dry day by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) under intimation to the Excise and Taxation Commissioner and Excise Collector.”

(ii) for sub-rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate ₹7.00 per proof litre for country liquor, ₹13 per proof liter for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 11 for beer per bulk litre.”

Provided further that inter-district transfer of left over stock of the licensee of the pervious year to a current licensee shall be allowed only in case of wholesalers, after approval of the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liqour and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

It is further provided that stock surrendered due to determination of wholesale license during the currency of the year shall also be allowed to be transferred to another licensee of the same district or to another licensee of some other district by the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liqour and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

Note: Where the rate of excise duty in the Excise Policy for the year 2019-20 have been increased in case of any type of liquor over the rates of excise duty for the years 2018-19, the differential excise duty on the unsold stock as on 01.04.2019 shall be payable, in addition to the stock transfer fee, if any.

6. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

(i) for clause (aa) the following clause shall be substituted namely :-

“(aa) No license for sale of liquor shall be granted to a shop that is :

- (i) visible from a National or State Highway;
- (ii) directly accessible from a National or State Highway and
- (iii) situated within a distance of 500 meters of the outer edge of the National or State Highway or of a service lane along the highway:

Provided that above restrictions shall not apply to the liquor vends located within the limits of municipal areas.

Provided further that in case of areas comprised in local bodies with a population of 20000 people or less, the distance of 500 meters shall stand reduced to 220 meters.

Provided further that like in earlier years, it shall be the responsibility of the successful bidder to ensure due compliance of the various provisions of Food Safety and Standard Authority of India, Municipal Bye-laws, National Highway Authority of India Act, 2002, Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 or any other law applicable, wherever required.

Note: It shall be the responsibility of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned to ensure the strict compliance of the above stipulated restrictions.

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV. For urban areas, up to two sub-vends per zone may be allowed by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Beyond that, on the specific request from licensees and to avoid bootlegging, smuggling and possibility of illicit distillation or sale of spurious liquor into his command area, further up to two sub-vends may be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) within the command area of the Zone for urban areas only. The fee per Sub-vend shall be as follows:-

Urban Areas		Rural Area
Up to 2 Sub-Vends	For further 2 Sub-vends	
₹ 20 lakh	₹ 30 lakh	₹ 2 lakh

For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c) and (d) mentioned below.

- (b) Sub-vend shall be permitted for each Gram Panchayat with a population of more than 1000 (as per 2011 census).
- (c) Sub-vends for a Gram Panchayat having population less than 1000 (as per 2011 census), shall be allowed with the consent of the Gram Panchayat, by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).
- (d) Two sub-vends shall be allowed in a Gram Panchayat, if the population of such Gram Panchayat is more than 5000 (as per 2011 census).

AMIT KUMAR AGRAWAL,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.